केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/306 दिनांक: 31.12.2019
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00203
CICOM/R/2019/00753

**अपीलकर्ता : श्री सत्यनारायण, पुत्र - श्री राममेहर,
गांव - लगरपुर, तह0 - बादली,
जिला - झज्जर,
हरियाणा - 124105.**

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
02 JAN 2020
D. No........
Initials........

निर्णय की तारीख: 31.12.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	गैरदिनांकित
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	14.10.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	25.11.2019
प्रथम अपील की डायरी सं.	19593/26.11.2019

अपीलकर्ता द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग में एक गैरदिनांकित आर.टी.आई. आवेदन प्रेषित की गई थी जो कि आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 10.10.2019 को प्राप्त हुआ था जिसके प्रतिउत्तर में श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 14.10.2019 को प्रेषित की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से मांगी गई सूचना का संक्षिप्त ब्यौरा:

1. अपीलकर्ता द्वारा गैरदिनांकित आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से भूमि अधिग्रहण मुआवजे से संबंधित दस्तावेजों की मांग की गई थी ।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना का संक्षिप्त ब्यौरा:

2. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा द्वारा दिनांक 14.10.2019 को पत्र सं. CICOM/R/2019/00753 के माध्यम से सूचना प्रेषित की गई है । प्रदान की गई सूचना में उल्लेख किया गया है कि "**आपके द्वारा मांगी गई सूचना केन्द्रीय सूचना आयोग में उपलब्ध नहीं है । आपके द्वारा मांगी गई सूचना राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालय/विभाग से संबंधित है । इस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग केवल केन्द्रीय सरकार एवं संघ शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालय/विभागों/उपक्रमों के विरुद्ध द्वितीय अपीलीय अधिकरण है । राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालय/विभाग/उपक्रम केन्द्रीय सूचना आयोग के प्रशासनिक/न्यायिक क्षेत्र से बाहर हैं । अतः राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों से संबंधित आवेदनों/अपीलों पर केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है । कृपया सूचना से संबंधित कार्यालय (जिस विभाग द्वारा मुआवजा दिया जाना है) में आवेदन दाखिल कर सूचना प्राप्त करें ।**"

प्रथम अपील की सुनवाई:-

3. प्रस्तुत प्रथम अपील का तर्कसंगत निस्तारण हेतु दिनांक 30.12.2019 को अपहराह्न 03.00 बजे मामले की सुनवाई निर्धारित की गई जिसके लिए सुनवाई सूचना दिनांक 19.12.2019 को जारी की गई एवं निर्धारित तिथि तथा समय पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा मामले की सुनवाई की गई । सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता श्री सत्यनारायण एवं श्री टी.बी.जे.एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी उपस्थित थे ।

P.T.O.

निष्कर्ष एवं निर्णय:

4. प्रथम अपील की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी की दलीलों को सुनने एवं संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) के अवलोकन के बाद अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि **यह मामला राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभाग से संबंधित है इसलिए सूचना अधिकार अधिनियम के उद्दश्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता को सूचना प्राप्त करने एवं अपील करने की विस्तृत प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई । उक्त परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा द्वारा प्रेषित की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार एवं स्पष्ट है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।**

5. तदनुसार प्रथम अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

(योगेश कुमार सिंघल)
संयुक्त सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।